"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 फरवरी 2007—फाल्गुन 9, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी, 2007 (फाल्गुन 9,,1928)

अधिसूचना

क्रमांक -3004/वि. स./ विधान/2007.— दिनांक 20 फरवरी, 2007 को सभा में प्रस्तुत नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन में विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिश नियम 231 के उप नियम (5) के अधीन सदन द्वारा अनुमोदित मानी गयी, जिसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"12. जब तक की सभा अन्यथा संकल्पित न करे सभा की बैठकें साधारणत: पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारंभ होंगी और साधारणत: सायं 05.30 बजे समाप्त हो जाएंगी ;

परन्तु सभा साधारणत: अपराह्न 1.30 से अपराह्न 3.00 बजे के मध्य नहीं होगी जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे ;

परन्तु यह और भी कि यदि सदन चाहे तो उसकी बैठक यथास्थिति किसी भी दिन या किन्हीं भी दिनों में अपराह्न 1.30 बजे से अपराह्न 3.00 के समय में या सायं 5.30 बजे के बाद भी हो सकेगी या उस समय के पूर्व स्थगित हो सकेगी और उस दिन या उन दिनों बैठक सदन द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय पर समाप्त होगी."

अध्यक्ष विधान सभा के आदेश से,

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.